भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1708

(15 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली

1708. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मनरेगा भुगतान के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को अनिवार्य कर दिया गया है;

(ख) एबीपीएस का अनुपालन करने वाले और अनुपालन न करने वाले कामगारों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा;

(ग) एबीपीएस का अनुपालन न करने के कारण मजदूरी से वंचित श्रमिकों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) मनरेगा भुगतान के लिए एबीपीएस को अनिवार्य बनाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने एबीपीएस से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी, हां।

(ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) से जुड़े कामगारों और एबीपीएस से नहीं जुड़े कामगारों की संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत एबीपीएस के कारण मजदूरी के भुगतान के लिए किसी भी कामगार को इंकार नहीं किया गया है।

(घ): महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए मजदूरी के समयानुसार भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की जानकारी में लाया गया है कि लाभार्थियों द्वारा बैंक खाता संख्या को बार-बार बदलने और तत्पश्चात कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा अद्यतन न किए जाने के कारण एबीपीएस को अपनाने का निर्णय लिया

गया है जो बैंक खाता बदलने के कारण प्रभावित नहीं होता है। यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिले , मौजूदा लाथार्थियों के दोहराव को हटाया जाना है। इसके लिए आधार सर्वोत्तम विकल्प है।

(ड.) एवं (च): कई राज्यों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार , मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च, 2023 तक, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान लाभार्थी की एबीपीएस पर स्थिति के आधार पर या तो एबीपीएस अथवा एनएसीएच का उपयोग करके किया जाए। इस प्रकार , मजदूरी के भुगतान में उपयोग करने के लिए दो विकल्प निम्नानुसार हैं:-

विकल्प 1- एबीपीएस: यदि लाभार्थी एबीपीएस से जुड़ा है तो भुगतान केवल एबीपीएस के माध्यम से किया जाएगा।

विकल्प 2- एनएसीएच: यदि कुछ तकनीकी कारणों इत्यादि के कारण लाभार्थी को एबीपीएस से नहीं जोड़ा जाता है तो कार्यक्रम अधिकारी एनएसीएच का चयन मजदूरी के भुगतान के तरीके के रूप में कर सकता है।

राज्य सभा में दिनांक 15.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1708 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एबीपीएस से जुड़े कामगारों की संख्या	एबीपीएस से नहीं जुड़े कामगारों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	11242408	1086673
2	अरुणाचल प्रदेश	164802	339927
3	असम	1571398	10274177
4	बिहार	8801761	14332752
5	छत्तीसगढ़	5747896	3717052
6	गोवा	15321	35034
7	गुजरात	1537488	8449285
8	हरियाणा	1274505	931717
9	हिमाचल प्रदेश	1624936	1116282
10	जम्मू और कश्मीर	1080498	1335393
11	झारखंड	4627201	5461816
12	कर्नाटक	8757247	9257018
13	केरल	3896872	2294917
14	लद्दाख	39570	12365
15	मध्य प्रदेश	6918582	11731307
16	महाराष्ट्र	6132034	21365409
17	मणिपुर	450425	550993
18	मेघालय	30834	1243329
19	मिजोरम	162418	66940
20	नागालैंड	109638	648722
21	ओडिशा	6571708	5239092
22	पंजाब	1924292	846250
23	राजस्थान	11460754	13586742
24	सिक्किम	90382	53148
25	तमिलनाडु	8881607	4288339
26	तेलंगाना	6213671	4307606
27	त्रिपुरा	976010	243944
28	उत्तर प्रदेश	11527174	19183399
29	उत्तराखंड	1140022	658958
30	पश्चिम बंगाल	19516596	7130532
31	अण्डमान और निकोबार	29133	22216
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	33124
33	लक्षद्वीप	6926	9486
34	पुदुचेरी	70773	36199